मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय विभाग

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था / विधवा / निः पेंशन योजना हेतु

आवेदन

प्रति,	
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी	
ज.पजिला	
2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी,	
नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद	
जिला	
विषय - 1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वुध्दावस्था पेशन योजना	
2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	
3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निः पेंशन योजना	
आवेदक का समय कोड क्रमांक	
आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक	
आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक	
1. आवेदक का नाम	
2. पिता का नाम	
3. जाति वर्ग - एससी एसटी	ओबीसी सामान्य अल्पसंख्यक
4. आवेदक की जन्मतिथि	
5. आवेदन के समय आयु	चर्ष
6. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता	
7. आवेदक के वर्तमान निवास का पूर्ण पता	
8. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि कोई तो)	7

9. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी -

क्रं	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1.					
2.				*	
3.					
4.					
5.				1	

10.	क्या आवेदक व	को पूर्व कोई प	मेशन प्राप्त हो रा	ही है				
11.	क्या आवेदक व	को राज्य शास	ान अथवा किसी	स्थानीय संस्था	से भण - पोष्ण	हेतु कोई राशि, अनाउ	ज / अन्य सहायता	
	प्राप्त हो रही है	है ? यदि हां त	नो कितनी और वि	केस रूप मैं	*************			
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
12.	वर्ममान में जी	विका का साध	म् । वार्षिक आर	T				
13	भावेटक का ह	बन्द ज्ञाना						

आवेदक / खाताधारक का नाम	बैंक / पोस्ट आर्फिस का मात व पता	बचत खाता' क्रमांक	आईं. एफ. एस. सी कोड

घोषणा - पत्र

में कुमारी / श्री / श्रीमति	··
पिता / पति	. † †
सत्यिनिष्ठ से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरी पेंशन बं जो राशि पेंशन के रूप में प्राप्त की है वह मुझसे शासन व्दारा वसूली की जा सकती है	द का मैं
संलग्न दस्तावेज का विवरण -	
1	
3. 4. 5.	

आवेदक के हस्तक्षार

कार्यालय जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर परि	रेषदरे
ਗਿला(ਸ0प्र0)	
क्रमांक	देनांक
	,
प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी / श्री / श्रीमति	
पति / पिता निवासी ग्राम / नगर	
तहसील / विकासखण्डजिला	व्दारा जनपद पंचायत
नगर निगम / नर पालिका / नगर परिषदर्	जेला
प्रस्तुत ड्रंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था / विधवा / निः शक्त पंशन योजना के आवेदन	
किया गया है।	
परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदक की पेंशन स्वीकृत / अस्वीकृत	किये जाने की अनशंसा की
जाती है	
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था / विधवा / निः शक्त पेंशन योजना में निर्धा	रेत पात्रता के मापदण्डो की
पूर्ती के कारण पेंशपन स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।	
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था / विधवा / निः शक्त पेंशन योजना में निर्धा	
पूर्ती न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जा	ती
गवाह (नाम एवं हस्तक्षार)	
1	
2i.	

नाम / पदनाम / हस्तक्षार जनपद पंचायत / नगर निगम / नर पालिका नगर परिषद व्दारा अधिकृत अधिकारी